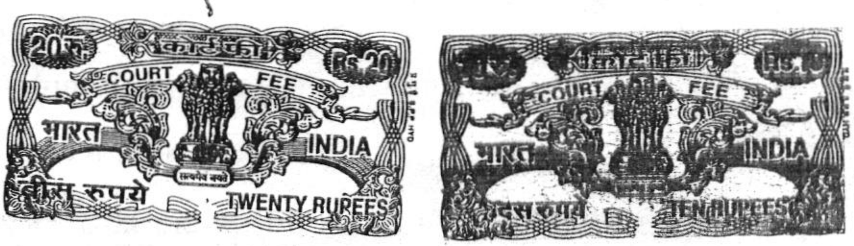

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

रिव्यू प्रकरण क्रमांक /2017

PBR/पुनर्विलोकन/खण्डवा/आ.अ./2017/4003

मैसर्स अग्रवाल डिस्टलरीज प्रा.लि. बड़वाह, जिला–खरगौन (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

1– मध्यप्रदेश शासन द्वारा आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर

2– उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता इन्दौर

3– सहायक आबकारी आयुक्त जिला खरगौन

4– जिला आबकारी अधिकारी जिला खण्डवा, बुरहानपुर म.प्र.

.... अनावेदकगण

पेशी- 16-11-17

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 8039/पी.बी.आर./2015 अपील में पारित आदेश दिनांक 10.10.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62(2) के अधीन पुनर्विलोकन।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/पुनर्विलोकन / खरगौन / अ० अ० / 2017 / 4003

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–12–2017	आवेदक की ओर से श्री के.के द्विवेदी, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें पुनर्विलोकन आवेदन पत्र पर सुना गया । आवेदक के अभिभाषक द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में वही आधार उठाये गये हैं, जो उनके द्वारा अपील में उठाये गये थे और जिनका निराकरण इस न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण में किया जा चुका है । आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन में कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं कर, इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जिसके आधार पर पुनर्विलोकन का कोई औचित्य नहीं होने से पुनर्विलोकन निरस्त किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	